राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

प. 7(3)कार्मिक/क–2/2006 जयपुर, दिनांक 30 जून, 2006

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
   विशिष्ठ शासन सचिव/शासन उप सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स सहित)
3. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ

परिपत्र

विषयः राजकीय सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करने एवं आवेदन पत्र में विवाह पंजीयन की सूचना अनिवार्यतः अंकित किये जाने हेतु ।

राज्य में विवाह पंजीयन की अनिवार्य व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए गृह विभाग द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं । इन दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 6 में विवाह पंजीयन की अनिवार्यता के सम्बन्ध में निर्देश हैं कि राजकीय सेवाओं के लिए आवेदन पत्र में भी आवेदन करने वाले आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजियन प्रमाण–पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में संलग्न प्रपत्र 6 में अंकित शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चत करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में राज्य में विभिन्न सेवाओं के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नियुक्ति प्राधिकारी/राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें उनमें विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में उपरोक्त सूचना हेतु आवेदन पत्र में एक यथोचित कालम रखा जावे जिसमें प्रत्येक आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक किया जावे।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के लिए आवेदन पत्र में विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में आवश्यक कालम रखना सुनिश्चित करें ताकि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पालना हो सके ।

संलग्नः प्रपत्र 6

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।

शासन उप सचिव

9/2006

कृ.प.उ.

प्रपत्र –6

–: शपथ पत्र :–

मै ....पुत्र/पुत्री श्री /श्रीमती.................................... निवासी .... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ /करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती /श्री .... निवासी .... के साथ संपन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .... को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती /श्री .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं .... अविवाहित हूँ।

या

मैं ....विधुर / विधवा हूँ (पत्नि / पति श्री / श्रीमती......................)।

या

मै तलाक शुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री .... के साथ दिनांक .... को संपन्न हुआ था।

हस्ताक्षर
शपथ कर्ता